8 दिसंबर 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 45 का संलग्नक

अधिसूचना सं.फेमा.20 की अनुसूची 1 के संलग्नक "बी" में मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्र.सं.	**क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि**	**एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत**	**प्रवेश मार्ग**
कृषि			
1	**कृषि और पशुपालन**		
1.1	**अन्य शर्तें**:		
	II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है:- (i) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं - जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।		
	(ii) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित कवर करती है: (ए) स्टाल-फीडिंग सहित गहन फार्मिंग प्रणालियों के तहत पशु-पालन। राष्ट्रीय पशु नीति, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट गहन फार्मिंग प्रणालियों में जलवायु प्रणालियां (हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुंड पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षित होंगी एवं वर्तमान "मानक आपरेटिंग प्रणालियों एवं न्यूनतम मानक समझौतों (प्रोटोकाल) के अनुरूप होंगी"। (बी) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-रोशनी (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है। (iii) मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन्हें कवर करती है:		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(ए) मछलीघर (अक्वेरियम) (बी) हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली के छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है।		
	(iv) मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन्हें कवर करती है: (ए) कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/ वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमान में और जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन।		
6	**रक्षा**		
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है।	26%	26% तक सरकारी मार्ग से। 26% से अधिक, मामले-दर-मामले के आधार पर, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी की मंजूरी द्वारा जिसमें आधुनिक एवं नवीनतम प्रोद्योगिकी तक देश की पहुंच सुनिश्चित होती हो।
	नोट: (i)विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेशकों(FIIs) द्वारा (पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) निवेश करने की अनुमति नहीं है। (ii) 22 अगस्त 2013 को रक्षा लाइसेंस की धारक कंपनियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेशकों(FIIs) द्वारा (पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) किए गए निवेश तद्दिनांक के मौजूदा स्तर पर सीमित रहेंगे। नए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेश(FIIs) (पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) नहीं किए जाएंगे, भले ही ऐसे निवेश का स्तर बाद में उच्चतम (कैप) स्तर से कम हो जाए।		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
6.2	**अन्य शर्तें:**		
	(xv) रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकार से अनुमति लेने के लिए सभी आवदेनपत्र आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (फिन) के सचिवालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। (xvi) 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आवदेनपत्र मौजूदा प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे 1200 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाने वाले प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCEA) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। 26% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन चाहने वाले आवेदनपत्रों की, सभी मामलों में, अतिरिक्त जांच आधुनिक एवं नवीनतम प्रोद्योगिकी तक पहुंच के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए विशेषतौर पर रक्षा उत्पादन विभाग (DoDP) द्वारा की जाएगी। (xvii) जिन मामालों से देश नवीनतम प्रोद्योगिकी तक पहुंच सके, ऐसे मामलों में रक्षा उत्पादन विभाग (DoDP) और विदेशी निवेश संवर्धन विभाग (DIPP) की संस्तुति के आधार पर रक्षा उत्पादन विभाग सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी का अनुमोदन प्राप्त करेगा। (xviii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 26% से अधिक के प्रस्ताव जिनमें 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश लाने के प्रस्ताव हों, जिनका अनुमोदन सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCS) द्वारा किया जाए, उनके लिए उक्त के अलावा आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCEA) से अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। (xix) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के पास किए गए आवेदन पर सरकार का निर्णय सामान्यतया पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।		
<u>सेवा क्षेत्र</u>			
सूचना सेवाएं			
7	**प्रसारण**		
7.5	उपुर्यक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) की सीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी), अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआर) द्वारा किए गए निवेश और		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के जरिए किए गए निवेश शामिल होंगे।		
7.6	उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों/नियमों के अधीन होंगे: **कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन (security clearance)** (iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए, उनके अभिनियोजन से पहले, सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा। **अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन** (vi) अनुमति धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमति धारक/ लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के पर संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमति/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमति/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। **सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण** (xiv) ये निरीक्षण सामान्यत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसी नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे। **राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें** (xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक/लाइसेंसधारी		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का कंपनी को तुरंत अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।		
8.	**प्रिंट मीडिया**		
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/ एफआईआई/ एफपीआई द्वारा निवेश)	सरकार
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/ एफआईआई/ एफपीआई द्वारा निवेश)	सरकार
9.	**नागरिक उड्डयन**		
9.1	(ix) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;		
9.3	**हवाई परिवहन सेवाएं**		
9.3.1	**अन्य शर्तें**		
	(ग) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे: (i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों/ एफपीआई के निवेश शामिल होंगे। (iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनियमों/शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा। (iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं: क) जो पंजीकृत है और जिसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है; ख) जिसके अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हैं, और ग) जिसका भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण है। (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनूसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों की तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा; और (vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा। **टिप्पणी:** (i) उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा/प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो। (ii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग)(ii) में दिए गए क्षेत्र में निवेश के संबंध में अनिवासी भारतीयों द्वारा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में भी छूट जारी रहेगी। (iii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग) में वर्णित नीति मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं है।		
15	**दूरसंचार सेवाएं** **(**दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I सहित**)** अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I सहित सभी दूरसंचार सेवाएं अर्थात बेसिक, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं),	100%	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवाएं, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आएसपी लाइसेंस, वाइस मेल/आडियोटेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी की रिसेल, मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I (डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस, टावर उपलब्ध कराने वाले) ।		
15.1.1	**अन्य शर्तें** : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% जिसमें से 49% स्वचालित मार्ग से तथा 49% से अधिक सरकारी मार्ग से होगा बशर्ते लाइसेंसी के साथ-साथ निवेशक द्वारा समय-समय पर दूर संचार विभाग द्वारा जारी अधिसूचित लाइसेंसिंग एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन किया जाए, केवल "अन्य सेवा प्रदाताओं" को छोड़कर जिन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति है।		
16.	**व्यापार**		
16.3	**सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार**	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से
	(3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार करने के लिए किसी कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में एसआईए को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रांड' के तहत विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के तहत विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा।		
	<u>वित्तीय सेवाएं</u> नीचे लिखी हुई वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी:		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
17.	**परिसंपत्तियों (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)**		
17.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो।	एआरसी की प्रदत्त पूंजी का 100% प्रतिशत (FDI+FII/FPI)	49% तक स्वचालित मार्ग से 49% से अधिक सरकारी मार्ग से
17.2	**अन्य शर्तें:**		
	(i) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनियों की पूंजी में स्वचालित मार्ग से 49% तक और 49% से अधिक सरकारी अनुमोदन मार्ग से निवेश कर सकता है। (ii) कोई भी प्रवर्तक किसी भी आस्ति पुनर्गठन कंपनी में 50% से अधिक शेयरों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा एक प्रवर्तक द्वारा नियंत्रित एफआईआई/एफपीआई के जरिए धारित (होल्ड) नहीं कर सकता है। (iii) किसी एक एफआईआई/एफपीआई की कुल शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10% से कम होनी चाहिए। (iv) रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में एफआईआई/एफपीआई निवेश कर सकते हैं। एफआईआई/एफपीआई एसआर योजना की प्रत्येक श्रृंखला में 74 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश कार्पोरेट बांडों में एफआईआई/एफपीआई द्वारा निवेश करने के लिए, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा में, और वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमवाली के अंतर्गत दी गई सेक्टोरल कैप के भीतर होने चाहिए। (v) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 (3) (एफ) के उपबंधों के अधीन होंगे।		
18.	**बैंकिंग-निजी क्षेत्र**		
18.1	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	एफआईआई/एफपीआई द्वारा किए गए निवेश सहित 74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
			49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग से
18.2	**अन्य शर्तें:** (1) इस 74 प्रतिशत की इस सीमा में पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत एफआईआई/एफपीआई, एनआरआई द्वारा किए गए निवेश, पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, जीडीआर/एडीआर और मौजूदा शेयरधारकों से अर्जित शेयर शामिल रहेंगे। (4) एफआईआई/एफपीआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जाने वाले निवेश की अनुमत सीमा निम्नानुसार होगी: (i) एफआईआई/एफपीआई के मामले में, अब तक की भांति, किसी एक एफआईआई/ एफपीआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित है और सभी एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, जिसे संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक के निदेशक मंडल ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो और उसके बाद उसकी आम सभा ने भी इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित किया हो।		
	(ए) इस तरह से एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई द्वारा किए जाने वाले निवेश की सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी। (डी) एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा विनियम 14(5) के अनुसार लागू बनी रहेगी।		
20.	**पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)**		
20.2	**पण्य बाजार**	49% (एफडीआई और एफआईआई/ एफपीआई) [पंजीकृत एफआईआई/	स्वचालित मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
		एफपीआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत निवेश की सीमा 23% और एफडीआई योजना के तहत निवेश सीमा 26%]	
20.3	**अन्य शर्तें:** (i) एफआईआई/एफपीआई द्वारा की जाने वाली खरीद द्वितीयक(सेकेंडरी) बाजार तक ही सीमित होगी। (ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर कार्य करनेवाले व्यक्तियों सहित, इन कंपनियों की इक्विटी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकेंगे।		
21.	**ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)**		
21.1	ऋण आसूचना कंपनियां	74%(एफडीआई+ एफआईआई/ एफपीआई)	स्वचालित मार्ग से
21.2	**अन्य शर्तें:** (2) विदेशी निवेश की अनुमति है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी प्रदान की गई हो। (3) किसी पंजीकृत एफआईआई/एफपीआई को विदेशी निवेश के लिए निर्धारित 74 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी सीआईसी में केवल 24 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। (4) इस तरह के एफआईआई/एफपीआई निवेश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते, (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10% से अधिक नहीं हो। (बी) किसी भी अधिग्रहण के 1 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी सूचना अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई/एफपीआई, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
22	**प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी**		
22.1	सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार, निक्षेपागार ओर समाशोधन निगम।	49%(एफडीआई + एफआईआई/ एफपीआई) [चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा तक एफडीआई और 23 प्रतिशत सीमा तक एफआईआई/ एफपीआई]	स्वचालित मार्ग से
22.2	**अन्य शर्तें**		
22.2.1	एफआईआई/एफपीआई केवल द्वितीयक(सेकेंडरी) बाज़ारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं।		
25	**फार्मास्यूटिकल्स**		
25.1	नई (ग्रीनफील्ड) कंपनियां	100 प्रतिशत	स्वचालित
25.2	विद्यमान(ब्राउनफील्ड) कंपनियां	100 प्रतिशत	सरकारी
25.3	**अन्य शर्तें**		
	(i) केवल विशेष मामलों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति के सिवाय "गैर प्रयोगी" उपबंध की अनुमति नहीं होगी। (ii) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे आवश्यक प्रमाणपत्र विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को दिए आवेदनपत्र सहित प्रस्तुत करें। (iii) ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान करते समय सरकार उचित शर्तों का समावेश कर सकती है।		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
26	**पावर एक्सचेंज**		
26.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमन, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49 प्रतिशत (एफडीआई + एफआईआई/ एफपीआई)	स्वचालित मार्ग से
26.2	**अन्य शर्तें:**		
	(i) ऐसे विदेशी निवेश, एफडीआई के लिए चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा और एफआईआई/एफपीआई के लिए 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे। (ii) एफआईआई/एफपीआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही सीमित होगी।		

अधिसूचना सं.फेमा.20 की अनुसूची 1 के संलग्नक "बी" में मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
कृषि			
1	**कृषि और पशुपालन**		
1.1	**अन्य शर्तें**:		
	II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है:- (v) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं - जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।		
	(vi) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित कवर करती है: (ए) स्टाल-फीडिंग सहित गहन फार्मिंग प्रणालियों के तहत पशु-पालन। राष्ट्रीय पशु नीति, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट गहन फार्मिंग प्रणालियों में जलवायु प्रणालियां (हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुंड पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षित होंगी एवं वर्तमान "मानक आपरेटिंग प्रणालियों एवं न्यूनतम मानक समझौतों (प्रोटोकाल) के अनुरूप होंगी"। (बी) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-रोशनी (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है। (vii) मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन्हें कवर करती है: (ए) मछलीघर (अक्वेरियम) (बी) हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली के छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है।		
	(viii) मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन्हें कवर करती है: (ए) कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/ वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमान में और जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन।		
6	**रक्षा**		
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है।	26%	26% तक सरकारी मार्ग से। 26% से अधिक, मामले-दर-मामले के आधार पर, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी की मंजूरी द्वारा जिसमें आधुनिक एवं नवीनतम प्रोद्योगिकी तक देश की पहुंच सुनिश्चित होती हो।
	नोट: (i)विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेशकों(FIIs) द्वारा (पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) निवेश करने की अनुमति नहीं है। (ii) 22 अगस्त 2013 को रक्षा लाइसेंस की धारक कंपनियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेशकों(FIIs) द्वारा (पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) किए गए निवेश तद्दिनांक के मौजूदा स्तर पर सीमित रहेंगे। नए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेश(FIIs) (पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) नहीं किए जाएंगे, भले ही ऐसे निवेश का स्तर बाद में उच्चतम (कैप) स्तर से कम हो जाए।		
6.2	**अन्य शर्तें:**		
	(xv) रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकार से अनुमति लेने के लिए सभी आवदेनपत्र आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (फिन) के सचिवालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(xvi) 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आवदेनपत्र मौजूदा प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे 1200 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाने वाले प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCEA) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। 26% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन चाहने वाले आवेदनपत्रों की, सभी मामलों में, अतिरिक्त जांच आधुनिक एवं नवीनतम प्रोद्योगिकी तक पहुंच के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए विशेषतौर पर रक्षा उत्पादन विभाग (DoDP) द्वारा की जाएगी। (xvii) जिन मामालों से देश नवीनतम प्रोद्योगिकी तक पहुंच सके, ऐसे मामलों में रक्षा उत्पादन विभाग (DoDP) और विदेशी निवेश संवर्धन विभाग (DIPP) की संस्तुति के आधार पर रक्षा उत्पादन विभाग सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी का अनुमोदन प्राप्त करेगा। (xviii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 26% से अधिक के प्रस्ताव जिनमें 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश लाने के प्रस्ताव हों, जिनका अनुमोदन सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCS) द्वारा किया जाए, उनके लिए उक्त के अलावा आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCEA) से अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। (xix) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के पास किए गए आवेदन पर सरकार का निर्णय सामान्यतया पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।		
<u>सेवा क्षेत्र</u>			
सूचना सेवाएं			
7	**प्रसारण**		
7.5	उपुर्यक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) की सीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी), अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआर) द्वारा किए गए निवेश और विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के जरिए किए गए निवेश शामिल होंगे।		
7.6	उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों/नियमों के अधीन होंगे:		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन (security clearance) (iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए, उनके अभिनियोजन से पहले, सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा। **अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन** (vi) अनुमति धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमति धारक/ लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के पर संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमति/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमति/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। **सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण** (xiv) ये निरीक्षण सामान्यत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसी नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे। **राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें** (xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक/लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का कंपनी को तुरंत अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
8.	**प्रिंट मीडिया**		
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/ एफआईआई/ एफपीआई द्वारा निवेश)	सरकार
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/ एफआईआई/ एफपीआई द्वारा निवेश)	सरकार
9.	**नागरिक उड्डयन**		
9.1	(x) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;		
9.3	**हवाई परिवहन सेवाएं**		
9.3.1	**अन्य शर्तें**		
	(ग) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे: (i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा। (ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों/ एफपीआई के निवेश शामिल होंगे। (iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनियमों/शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	का पालन करना आवश्यक होगा। (iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं: क) जो पंजीकृत है और जिसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है; ख) जिसके अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हैं, और ग) जिसका भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण है। (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनूसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों की तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा; और (vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा। **टिप्पणी:** (i) उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा/प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो। (ii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग)(ii) में दिए गए क्षेत्र में निवेश के संबंध में अनिवासी भारतीयों द्वारा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में भी छूट जारी रहेगी। (iii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग) में वर्णित नीति मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं है।		
15	**दूरसंचार सेवाएं** **(**दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I सहित**)** अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I सहित सभी दूरसंचार सेवाएं अर्थात बेसिक, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवाएं, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आएसपी लाइसेंस, वाइस मेल/आडियोटेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी की रिसेल,	100%	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-I (डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस, टावर उपलब्ध कराने वाले) ।		
15.1.1	**अन्य शर्तें** : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% जिसमें से 49% स्वचालित मार्ग से तथा 49% से अधिक सरकारी मार्ग से होगा बशर्ते लाइसेंसी के साथ-साथ निवेशक द्वारा समय-समय पर दूर संचार विभाग द्वारा जारी अधिसूचित लाइसेंसिंग एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन किया जाए, केवल "अन्य सेवा प्रदाताओं" को छोड़कर जिन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति है।		
16.	**व्यापार**		
16.3	**सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार**	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से
	(3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार करने के लिए किसी कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में एसआईए को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रांड' के तहत विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के तहत विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा।		
	<u>वित्तीय सेवाएं</u> नीचे लिखी हुई वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी:		
17.	**परिसंपत्तियों (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)**		
17.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002	एआरसी की प्रदत्त पूंजी का 100% प्रतिशत	49% तक स्वचालित मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो।	(FDI+FII/FPI)	49% से अधिक सरकारी मार्ग से
17.2	**अन्य शर्तें:**		
	(i) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनियों की पूंजी में स्वचालित मार्ग से 49% तक और 49% से अधिक सरकारी अनुमोदन मार्ग से निवेश कर सकता है। (vi) कोई भी प्रवर्तक किसी भी आस्ति पुनर्गठन कंपनी में 50% से अधिक शेयरों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा एक प्रवर्तक द्वारा नियंत्रित एफआईआई/एफपीआई के जरिए धारित (होल्ड) नहीं कर सकता है। (vii) किसी एक एफआईआई/एफपीआई की कुल शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10% से कम होनी चाहिए। (viii) रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में एफआईआई/एफपीआई निवेश कर सकते हैं। एफआईआई/एफपीआई एसआर योजना की प्रत्येक श्रृंखला में 74 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश कार्पोरेट बांडों में एफआईआई/एफपीआई द्वारा निवेश करने के लिए, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा में, और वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमवाली के अंतर्गत दी गई सेक्टोरल कैप के भीतर होने चाहिए। (ix) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 (3) (एफ) के उपबंधों के अधीन होंगे।		
18.	**बैंकिंग-निजी क्षेत्र**		
18.1	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	एफआईआई/एफपीआई द्वारा किए गए निवेश सहित 74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
			सरकारी मार्ग से
18.2	**अन्य शर्तें:** (1) इस 74 प्रतिशत की इस सीमा में पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत एफआईआई/एफपीआई, एनआरआई द्वारा किए गए निवेश, पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, जीडीआर/एडीआर और मौजूदा शेयरधारकों से अर्जित शेयर शामिल रहेंगे। (4) एफआईआई/एफपीआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जाने वाले निवेश की अनुमत सीमा निम्नानुसार होगी: (i) एफआईआई/एफपीआई के मामले में, अब तक की भांति, किसी एक एफआईआई/ एफपीआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित है और सभी एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, जिसे संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक के निदेशक मंडल ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो और उसके बाद उसकी आम सभा ने भी इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित किया हो।		
	(ए) इस तरह से एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई द्वारा किए जाने वाले निवेश की सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी। (डी) एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा विनियम 14(5) के अनुसार लागू बनी रहेगी।		
20.	**पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)**		
20.2	**पण्य बाजार**	49% (एफडीआई और एफआईआई/ एफपीआई) [पंजीकृत एफआईआई/ एफपीआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के	स्वचालित मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
		तहत निवेश की सीमा 23% और एफडीआई योजना के तहत निवेश सीमा 26%]	
20.3	**अन्य शर्तें:** (iii) एफआईआई/एफपीआई द्वारा की जाने वाली खरीद द्वितीयक(सेकेंडरी) बाजार तक ही सीमित होगी। (iv) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर कार्य करनेवाले व्यक्तियों सहित, इन कंपनियों की इक्विटी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकेंगे।		
21.	**ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)**		
21.1	ऋण आसूचना कंपनियां	74%(एफडीआई+ एफआईआई/ एफपीआई)	स्वचालित मार्ग से
21.2	**अन्य शर्तें:** (2) विदेशी निवेश की अनुमति है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी प्रदान की गई हो। (3) किसी पंजीकृत एफआईआई/एफपीआई को विदेशी निवेश के लिए निर्धारित 74 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी सीआईसी में केवल 24 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। (4) इस तरह के एफआईआई/एफपीआई निवेश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते, (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10% से अधिक नहीं हो। (बी) किसी भी अधिग्रहण के 1 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी सूचना अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई/एफपीआई, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।		
22	**प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी**		
22.1	सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार,	49%(एफडीआई + एफआईआई/	स्वचालित मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	निक्षेपागार ओर समाशोधन निगम।	एफपीआई) [चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा तक एफडीआई और 23 प्रतिशत सीमा तक एफआईआई/ एफपीआई]	
22.2	**अन्य शर्तें**		
22.2.1	एफआईआई/एफपीआई केवल द्वितीयक(सेकेंडरी) बाज़ारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं।		
25	**फार्मास्यूटिकल्स**		
25.1	नई (ग्रीनफील्ड) कंपनियां	100 प्रतिशत	स्वचालित
25.2	विद्यमान(ब्राउनफील्ड) कंपनियां	100 प्रतिशत	सरकारी
25.3	**अन्य शर्तें**		
	(iv)केवल विशेष मामलों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति के सिवाय "गैर प्रयोगी" उपबंध की अनुमति नहीं होगी। (v) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे आवश्यक प्रमाणपत्र विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को दिए आवेदनपत्र सहित प्रस्तुत करें। (vi)ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान करते समय सरकार उचित शर्तों का समावेश कर सकती है।		
26	**पावर एक्सचेंज**		
26.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमन, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49 प्रतिशत (एफडीआई + एफआईआई/ एफपीआई)	स्वचालित मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
26.2	**अन्य शर्तें:**		
	(i) ऐसे विदेशी निवेश, एफडीआई के लिए चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा और एफआईआई/एफपीआई के लिए 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे। (ii) एफआईआई/एफपीआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही सीमित होगी।		